

पत्रांक-7/पद सृजन-15-02/2026सा0प्र0 ...9595 /

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक, रजनीश कुमार,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,
महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना-15, दिनांक...29.05.26

विषय:- बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 के अन्तर्गत मधुबनी (सदर) न्यायमंडल में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश के एक अतिरिक्त न्यायालय एवं दरभंगा न्यायमंडल के अधीन बेनीपुर अनुमंडलीय न्यायालय में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश के एक न्यायालय की स्थापना हेतु जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश के एक-एक अर्थात् कुल 02 (दो) पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विधि विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-1135 दिनांक 10.02.2026 के साथ संलग्न महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना के पत्रांक-8787 दिनांक 31.01.2026 द्वारा बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 के अन्तर्गत मधुबनी (सदर) न्यायमंडल में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश के एक अतिरिक्त न्यायालय एवं दरभंगा न्यायमंडल के अधीन बेनीपुर अनुमंडलीय न्यायालय में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश के एक न्यायालय की स्थापना हेतु जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश के एक-एक अर्थात् कुल 02 (दो) पदों को सृजित करने की अनुशंसा संसूचित की गयी है।


2. उक्त अनुशंसा पर सम्यक् विचारोपरांत महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना के पत्र के साथ संलग्न व्यय विवरणी में अंकित पद के सम्मुख वेतनमान ₹ 6436920/- (चौसठ लाख छत्तीस हजार नौ सौ बीस रुपये) मात्र के वार्षिक व्यय तथा न्यायिक सेवा संवर्गों में समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत भत्तों के अनुमानित व्यय भार पर गैर योजना मद में स्थायी रूप से बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 के अन्तर्गत मधुबनी (सदर) न्यायमंडल में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश के एक अतिरिक्त न्यायालय एवं दरभंगा न्यायमंडल के अधीन बेनीपुर अनुमंडलीय न्यायालय में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश के एक न्यायालय की स्थापना हेतु जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश के एक-एक अर्थात् कुल 02 (दो) पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उपर्युक्त सृजित किये जाने वाले पद का व्यय-बजट शीर्ष वही होगा, जो राज्य के व्यवहार न्यायालयों के न्यायिक पदाधिकारियों का होगा एवं संबंधित जिले के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे।

4. इसमें प्रशासी पद वर्ग समिति की स्वीकृति एवं मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन प्राप्त है।

अनुलग्नक:-व्यय विवरणी।


बिहार राज्यपाल के आदेश से


(रजनीश कुमार)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-7/पद सृजन-15-02/2026सा0प्र0 9595/पटना-15, दिनांक 29.05.26

प्रतिलिपि:-वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना को उनके पत्रांक-8787 दिनांक 31.01.2026 के प्रसंग में/सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना को उनके पत्रांक-1135 दिनांक 10.02.2026 के प्रसंग में/विशेष सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 27.05.2026 के मद संख्या-7 के प्रसंग में/संबंधित प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/संबंधित कोषागार पदाधिकारी एवं आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


सरकार के अपर सचिव।


Statement of Annual Estimated Expenditure Chart.

SL. No.	Name of the Post	No. of Post	Pay Scale (P.S.)	Average pay/ Basic pay (Upper Limit of P.S. + Lower Limit of P.S.)/2	Annual Pay (Average Pay x Number of Post x 12)	Dearness Allowance @ 58%	Total Annual Estimated Expenditures
1.	District & Additional Sessions Judge	02	144840-194660 (J-5)	169750	4074000	2362920	6436920
Total						Rs.	6436920

{Total (in words) : Rupees Sixty Four Lakh, Thirty Six Thousand and Nine Hundred Twenty Only.}

In addition to above mentioned expenditure other allowances as admissible to the officers of Judicial service from time to time shall also be payable as mentioned below:-

- | | | |
|-----------------------------------|---|---|
| 1. Children Education Allowance | 7. Home Ordely/Domestic Help Allowance | 13. Dress Allowance |
| 2. Concurrent Charge Allowance | 8. House Rent Allowance | 14. Special Pay for Administrative Work |
| 3. Conveyance/Transport Allowance | 9. Furniture & Air Conditioner Allowance | 15. Sumptuary Allowance |
| 4. Earned Leave Encashment | 10. LeaveTraval Concession/Home Traval Concession | 16. Phone/Mobile Allowance |
| 5. Electricity and Water Charges | 11. Medical Allowance | 17. Transfer Grant |
| 6. Higher Qualification | 12. Newspaper and Magazine Allowance | |


(Rajnish Kumar)
 Additional Secretary to the Govt.